रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03052025-262864
CG-DL-E-03052025-262864

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1957] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 2, 2025/ वैशाख 12, 1947
No. 1957] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 2, 2025/ VAISAKHA 12, 1947

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 2 मई, 2025

का.आ. 2001(अ).—केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से, तीन वर्ष की अवधि के लिए, निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनने वाले ओडिशा तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) का गठन करती है, अर्थात् :--

(i)	अपर मुख्य सचिव, वन और पर्यावरण विभाग, ओडिशा सरकार	अध्यक्ष, पदेन ;
(ii)	सचिव, आवास और शहरी विकास विभाग, ओडिशा सरकार	सदस्य, पदेन;
(iii)	सचिव, मत्स्य पालन और पशु संसाधन विकास विभाग, ओडिशा सरकार	सदस्य, पदेन ;

(iv)	सचिव, उद्योग विभाग, ओडिशा सरकार	सदस्य, पदेन ;
(v)	सदस्य सचिव, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ओडिशा	सदस्य, पदेन ;
(vi)	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) और मुख्य वन्यजीव वार्डन, ओडिशा	सदस्य, पदेन ;
(vii)	मुख्य वन संरक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	सदस्य, पदेन ;
(viii)	मुख्य कार्यपालक, ओडिशा अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, भुवनेश्वर	सदस्य, पदेन ;
(ix)	उपाध्यक्ष, पुरी कोणार्क विकास प्राधिकरण, पुरी	सदस्य, पदेन ;
(x)	डॉ. प्रशांत कुमार पाणीगृही, पूर्व समुद्र विज्ञानी, समेकित तटीय जोन प्रबंध परियोजना, ओडिशा, शक्ति विहार, डाक घर मानचेश्वर रेलवे कालोनी, भुवनेश्वर-751017	सदस्य, विशेषज्ञ ;
(xi)	डॉ. अजित कुमार पटनायक, प्लाट सं. 91, सेक्टर 4, निलादरीविहार, भुवनेश्वर, ओडिशा -751021	सदस्य, विशेषज्ञ ;
(xii)	डॉ. रबिन्द्र नाथ होटा, प्लाट सं0 70/528, सिजुआ, डाक घर- सरकांटरा, भुवनेश्वर, ओडिशा -751019	सदस्य, विशेषज्ञ ;
(xiii)	डॉ. प्रसन्ना कुमार, सी-100,लिंगराज विहार, पोखारिपुट, भुवनेश्वर-751020	सदस्य, विशेषज्ञ ;
(xiv)	अन्वेषण, तेतालंगा, पैतामुन्दई, केन्द्रापाडा	सदस्य, गैर-सरकारी संगठन;
(xv)	निदेशक, पर्यावरण-सह-विशेष सचिव, वन और पर्यावरण विभाग, ओडिशा सरकार, भुवनेश्वर।	सदस्य-सचिव।

2. प्राधिकरण का मुख्यालय भुवनेश्वर, ओडिशा में होगा।

3. प्राधिकरण की बैठक के लिए गणपूर्ति, प्राधिकरण की कुल सदस्य संख्या के एक-तिहाई सदस्यों से होगी ।

4. किसी पदेन सदस्य से भिन्न, किसी सदस्य को केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिश्चित किए गए निबंधनों और शर्तों के अनुसार भत्तों का संदाय किया जाएगा ।

5. हित के किसी टकराव से बचने के लिए, सदस्य, किसी ऐसी परियोजना, जिसके लिए उन्होंने परामर्श कार्य संबंधी सेवा दी है, के मूल्यांकन की प्रक्रिया में, प्राधिकरण की बैठक से स्वयं को दूर रखेंगे ।

6. प्राधिकरण, ओडिशा राज्य में तटीय विनियमन जोन क्षेत्रों में तटीय पर्यावरण की गुणवत्ता की संरक्षा और उसका सुधार करने और पर्यावरणीय प्रदूषण को रोकने, उसका उपशमन करने तथा नियंत्रण करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगा, अर्थात् :--

(i) परियोजना प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए परियोजना प्रस्तावक से प्राप्त आवेदन की, भारत सरकार की, यथास्थिति, अधिसूचना संख्या का. आ. 37(अ) तारीख 18 जनवरी, 2019 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) के अधीन तैयार अनुमोदित तटीय जोन प्रबंधन योजना के अनुसार, जांच करेगा और आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के भीतर, उक्त अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट, संबद्ध प्राधिकरण को परियोजना प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए सिफारिश करना;

(ii) उक्त अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट तटीय विनियमन जोन क्षेत्रों में सभी विकासात्मक क्रियाकलापों को विनियमित करना ;

(iii) उक्त अधिसूचना के उपबंधों का प्रवर्तन और मानीटरी करना ;

(iv) भारत के राजपत्र, में प्रकाशित भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं0 4650(अ), तारीख 30 सितंबर, 2022 में यथा विनिर्दिष्ट के अनुसार, उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन निदेश जारी करना ;

(v) उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करना ;

(vi) उक्त अधिनियम की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करना ;

(vii) तटीय विनियमन जोन क्षेत्रों में और तटीय जोन प्रबंधन योजना में उपांतरण के लिए राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों की समीक्षा करना और उक्त अधिसूचना के अधीन राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण को सिफारिशें करना;

(viii) उक्त अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या उक्त अधिसूचना के अनुपालन में विफलता या उल्लंघन के मामलों की, स्वप्रेरणा से या किसी व्यक्ति द्वारा उसके समक्ष की गई शिकायत के आधार पर, जांच और पुनर्रीक्षा करना ।

7. प्राधिकरण, अपने कार्यकरण में, पारदर्शिता बनाए रखने के प्रयोजन के लिए एक समर्पित वेबसाइट तैयार करेगा और अपने कृत्यों से संबंधित जानकारी इस पर डालेगा, जिसके अंतर्गत उसकी बैठक में कार्यसूची, बैठक का कार्यवृत्त, बैठक में किए गए विनिश्चय, उक्त अधिसूचना के अनुपालन में विफलता या उल्लंघन पर मामलों के लिए सिफ़ारिशें और ऐसी विफलता या उल्लंघन पर की गई कार्रवाई, न्यायालय मामले, जिनमें न्यायालयों के आदेश भी हैं, और ओडिशा सरकार की अनुमोदित तटीय जोन प्रबंधन योजना भी है ।

8. प्राधिकरण, राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण को अपने क्रियाकलापों की रिपोर्ट छह मास में कम से कम एक बार प्रस्तुत करेगा ।

[फा. सं. 12-2/2005-आईए-III (भाग-III)]

रजत अग्रवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

ORDER

New Delhi, the 2nd May, 2025

S.O. 2001(E).— In exercise of the powers conferred by section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby constitutes the Odisha Coastal Zone Management Authority (hereinafter referred to as the Authority) consisting of the following persons, for a period of three years, with effect from the date of publication of this Order in the Official Gazette, namely:-

(i)	Additional Chief Secretary , Forest and Environment Department, Government of Odisha	Chairperson, *ex officio*;
(ii)	Secretary, Housing and Urban Development Department, Government of Odisha	Member, *ex officio;*
(iii)	Secretary, Fisheries and Animal Resource Development Department, Government of Odisha	Member, *ex officio;*
(iv)	Secretary, Industries Department , Government of Odisha	Member, ex officio;
(v)	Member Secretary, State Pollution Control Board, Odisha	Member, *ex officio;*
(vi)	Principal Chief Conservator of Forests (Wildlife) and Chief Wildlife Warden, Odisha	Member, *ex officio;*
(vii)	Chief Conservator of Forest, Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change	Member, ex officio;
(viii)	Chief Executive, Odisha Space Application Centre, Bhubaneswar	Member, *ex officio;*
(ix)	Vice Chairman, Puri Konark Development Authority, Puri	Member, *ex officio;*
(x)	Dr. Prasanta Kumar Panigrahy, Former Oceanographer, Integrated Coastal Zone Management Project, Odisha, Shakti Vihar, Post Office Mancheswar Railway Colony, Bhubaneswar-751017	Member, Expert;
(xi)	Dr. Ajit Kumar Pattnaik, Plot No.91, Sector-4, Niladrivihar, Bhubaneswar, Odisha -751021	Member, *Expert;*

(xii)	Dr. Rabindra Nath Hota, Plot No.70/528, Sijua, P.O.- Sarakantara, Bhubaneswar, Odisha, Pin-751019	Member, *Expert;*
(xiii)	Dr. Prasanna Kumar, C-100,Lingaraj Vihar Pokhariput, Bhubaneswar-751020	Member, *Expert;*
(xiv)	Anwesana, Tetalanga, Pattamundai, Kendrapada	Member, Non-Governmental Organisation;
(xv)	Director, Environment-cum-Special Secretary to Government, Department of Forest and Environment, Government of Odisha, Bhubaneswar	Member-Secretary.

2. The Headquarter of the Authority shall be at Bhubaneswar, Odisha.

3. The quorum for the meeting of the Authority shall be one- third of the total number of its Members.

4. The member, other than Member *ex officio*, shall be paid allowances as per the terms and conditions decided by the Central Government.

5. In order to avoid any conflict of interest, the Members shall recuse themselves from the meeting of the Authority, in the process of appraisal of any project, for which they have rendered any consultancy service.

6. The Authority shall take following measures for protecting and improving the quality of the coastal environment and preventing, abating and controlling environmental pollution in the Coastal Regulation Zone areas in the State of Odisha, namely: -

(i) examine proposals received from the project proponent for approval of project proposal, in accordance with the approved Coastal Zone Management Plan prepared under the notification of the Government of India number G.S.R. 37(E), dated the 18th January, 2019 (hereinafter referred to as the said notification), as the case may be, and make recommendation for approval of project proposal to the authority concerned, as specified in the said notification, within a period of sixty days from the date of receipt of application;

(ii) regulate all developmental activities in the Coastal Regulation Zone areas as specified in the said notification;

(iii) enforce and monitor the implementation of provisions of the said notification;

(iv) issue directions under section 5 of the said Act as specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, number S.O. 4650(E), dated the 30th September, 2022;

(v) exercise powers under section 10 of the said Act;

(vi) file complaint under section 19 of the said Act;

(vii) examine proposals received from the State Government for modifications in the classification of Coastal Regulation Zone areas and in the Coastal Zone Management Plan and making recommendations to the National Coastal Zone Management Authority under the said notification; and

(viii) inquire and review cases of failure of compliance or contravention of the said Act or rules made thereunder or the said notification, suo-moto or on the basis of a complaint made by any person before it.

7. The Authority shall, for the purposes of maintaining transparency in its functioning, create a dedicated website and post the information relating to its functions, including the agenda in its meeting, minutes of the meeting, decision taken in the meeting, recommendation for matters on failure of compliance or contravention of the said notification and action taken on such failure or contravention and court matter

including the order of the court and the approved Coastal Zone Management Plan of the Government of Odisha.

8. The Authority shall furnish report of its activity at least once in six months to the National Coastal Zone Management Authority.

[F.No.-12-2/2005-IA.III(Vol.III)]

RAJAT AGARWAL, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.05.03 11:15:11 +05'30'